न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 200/2024 (GCMS : 2024/283)

1. **प्रदीप सिंह** पुत्र राम सिंह जाति चमार निवासी चक 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 14 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
2. **सर्वजीत सिंह** पुत्र राम सिंह जाति चमार निवासी चक 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 14 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
3. **मनजीत कौर** पत्नी राम सिंह जाति चमार निवासी चक 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 14 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर**, जिला श्रीगंगानगर
2. **पुन्नू सिंह** पुत्र श्री साधू सिंह जाति मजहबी सिख, निवासी चक 15 बीएलडी(बी) तहसील श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ
3. **राम सिंह** पुत्र श्री बूड़ सिंह जाति चमार निवासी चक 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 14 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर, जिला अनूपगढ़

05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होनें यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन अनवानी पुन्नू सिंह बनाम राम सिंह वाद संख्या 30/2024 व प्रकरण संख्या 13/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में [illegible] सम्भावना व्यक्त कर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने के [illegible] अन्तर्गत धारा 235 आरटीए का प्रस्तुत किया था। अब दोनों पक्षकारान के [illegible]नामा हो गया है, [illegible] प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है, इसलिए इस [illegible]करण को दाखिल द[illegible]/नॉट प्रैस करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:11 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राजीनामा के आधार पर इस प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन अनवानी पुन्नू सिंह बनाम राम सिंह वाद संख्या 30/2024 व प्रकरण संख्या 13/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने के प्रार्थना के साथ अन्तर्गत धारा 235 आरटीए को सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। पक्षकारान के मध्य राजीनाम होने के कारण वे अब इस प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। पत्रावली की फर्द अहकाम पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने नॉट प्रैस भी अंकित किया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी इस पर कोई आपत्ति जताई है। **इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली तरतीब तक़मील होकर दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:11 IST
Reason: SelfAttested